न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कुचामनसिटी जिला नागौर (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी :– श्री मनोज (RAS)

राजस्व वाद संख्या :– 16/2023 **GCMS 2023/31**

वादी

1. ओमप्रकाश पुत्र मोहनलाल माहेश्वरी कुचामनसिटी तहसील कुचामनसिटी जिला डीडवाना–कुचामन राजस्थान

बनाम

प्रतिवादीगण

1. बाजादेवी उर्फ बाजू देवी पत्नि बंशीलाल जाति बागरिया खानबदोश हाल निवासी मानधनिया फार्म हाउस के पास, पदमपुरा रोड़, कुचामनसिटी तहसील कुचामनसिटी
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार कुचामनसिटी (लैण्ड होल्डर)

दावा– बाबत अतिक्री की बेदखली अन्तर्गत धारा 183 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट 1955

उपस्थित :–श्री अशोकपुरी अधिवक्ता वादी की ओर से।

श्री रमेश चौधरी अधिवक्ता प्रतिवादी सं. 1 की ओर से।

निर्णय

दिनॉक :– 20/11/2023

1. हस्तगत प्रकरण के सारगर्भित तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने यह वाद प्रतिवादी के विरूद्व इस आशय का पेश किया है कि वादी की कुचामनसिटी की सरहद में वादी की कृषि भूमि खसरा नम्बर 2263 कुल रकबा 3.79 हैक्टर में वादी का 84961/113700 हिस्सा आया हुआ है,वादी द्वारा उपर्युक्त वर्णित भूमि खसरा नम्बर 2263 के तत्कालीन खातेदारान से जरिये पंजीकृत बेचाननामे के खरीद की जाकर विक्रेता द्वारा कब्जा सुपुर्द किया जिस पर उपयोग कर रहा है, उपर्युक्त वर्णित खसरा नम्बर 2263 के अन्य सभी खातेदारो ने मौके पर अलग–अलग हिस्सा कर रखा है तथा मौके पर अपने–अपने हिस्से पर काबिज है।

2. वादी अपने व्यापार के सिलसिले में बैंगलोर में अपने परिवार सहित निवास करता है, दिनॉक 12.01.2023 को वादी कुचामनसिटी आया। और अपनी उपर्युक्त वर्णित भूमि को संभालने गया तो देखा कि वादी की खरीदसुदा भूमि पर प्रतिवादी सं. 1 अनाधिकृत रूप से डेरा डाल कर बैठी हुई है, वादी द्वारा प्रतिवादी सं. 1 को उपर्युक्त वर्णित भूमि से डेरा हटाने के लिये कहा तो प्रतिवादी सं. 1 वादी का धमकियॉ देने लगी कि मेरे साथ कई भू–माफिया लोग जुड़े हुये है, मै भा.द.स. की धारा 302 के तहत सजा भुगत कर आई हुई हूँ, मैं तुम्हारे विरूद्व झूँठे मकदमे दर्ज करवाकर तुम्हे जेल करवा दूँगी।

3. यह कि वादी द्वारा थानाधिकारी पुलिस थाना कुचामनसिटी में इस आशय की रिपोर्ट दर्ज करवाई गई, परन्तु थानाधिकारी द्वारा किसी भी प्रकार की कार्यवाही अमल में नही लाई जा रही है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Manoj
Date: 2023.12.28 16:32:51 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (डीडवाना-कुचामन)

4. यह कि प्रतिवादी सं. 1 बिना किसी वैध अधिकार के वादी की खातेदारी कृषि भूमि पर नाजायज रूप से कब्जा करके बैठी है। वादी को दिनॉक 12.01.2023 को प्रतिवादी सं. 1 द्वारा किये गये अनाधिकृत कब्जे की जानकारी होने से प्रतिवादी सं. 1 विरूद्व निरन्तर बिनाय दावा उत्पन्न हो रहा है।

5. यह कि वादी के खातेदारी अधिकारों की कृषि भूमि पर प्रतिवादी सं. 1 द्वारा किये गये अनाधिकृत कब्जे की जानकारी होने पर वादी अपने खातेदारी अधिकारों की भूमि से प्रतिवादी सं. 1 को बेदखल करवा कर शांति पूर्ण कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी है वादी द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 से अनुनय विनय करने के उपरान्त भी प्रतिवादी संख्या 1 अपनी जिद पर अडिग है एवं अनाधिकृत रूप से किये गये कब्जे को नही हटा रही है, इसलिये वादी को यह वाद पेश करना लाजमी हुआ है।

अतः वाद प्रार्थना है कि कब्जा कुचामनसिटी के खसरा नम्बर 2263 में स्थित वादी के हक हिस्से की खातेदारी सुदा भूमि से प्रतिवादी संख्या 1 को जरिये पुलिस इमदाद बेदखल कर उक्त भूमि से अस्थाई डेरे डाले गये डेरे को हटाकर कब्जा वादी को सुपुर्द किया जावें, खर्चा मुकदमा वादी को प्रतिवादी सं. 1 से दिलाया जावें।

6. वाद वादी दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादी को तलब किया गया, प्रतिवादी की ओर से श्री रमेश चौधरी अधिवक्ता ने वाद के प्रत्युत्तर में एक प्रार्थना–पत्र आदेश 7 नियम 11 सी. पी. सी. का पेश किया। उक्त प्रार्थना–पत्र आदेश 7 नियम 11 का प्रत्युत्तर वकील वादी ने पेश किया। तहसीलदार कुचामनसिटी से मौका रिपोर्ट प्राप्त की गई।

7. प्रतिवादी बाजादेवी की ओर से दिनॉक 30.6.2023 को प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 151 सी पी सी का प्रस्तु किया गया। जिसमें कथन किया है कि दिनॉक 30.01.2023 को वादी के केवल एकतरफा निवेदन पर मौका रिपोर्ट मंगवाई गई, यह मौका रिपोर्ट वादी ने वाद पत्र के समक्ष जुटाने के लिए मंगवाई गई है जिसमें प्रार्थीया को बिना सुने रिपोर्ट मंगवाना नैसर्गिक न्याय के सिद्वान्त के विपरित है, अतः मौका रिपोर्ट को पत्रावली से हटाया जावें।

उक्त प्रार्थना–पत्र 30.06.2023 का वादी वकील द्वारा जवाब प्रस्तुत नही कर सीधे ही बहस का निवेदन किया। जिन्होने ने बहस दौरान बताया है कि उक्त मौका रिपोर्ट में ऐसा कोई तथ्य परिभाषित नही किया गया है कि साक्ष्य जुटाया गया है। अतः प्रतिवादी का प्रार्थना–पत्र दिनॉक 30.06.2023 अन्तर्गत धारा 151 सीपीसी का खारिज फरमाया जावें। दोनो पक्षो की उक्त प्रार्थना–पत्र पर बहस सुनी गई। बहस एवं प्रार्थना–पत्र पर का अवलोकन किया गया, एवं मौका रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। प्रश्नगत भूमि वादी की खातेदारी की दर्ज चली आ रही है तथा प्रतिवादी बाजादेवी के द्वारा किसी भी प्रकार का दस्तावेजी साक्ष्य इत्यादि प्रस्तुत नही किया गया है तथा मौका रिपोर्ट मे भी किसी प्रकार का कानूनी बिन्दू अंकित नही किया गया है केवल मात्र मौका की स्थिति

Signature Not Verified
Digitally signed by Manoj
Date: 2023.12.28 16:42:51 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (डीडवाना-कुचामन)

का वर्णन किया गया है। इस प्रकार प्रार्थना–पत्र दिनॉक 30.06.2023 अन्तर्गत धारा 151 सीपीसी किसी भी दृष्टि से साबित नही होने से खारिज किया जाता है।

दिनॉक 10.11.2023 को प्रतिवादी अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 151 सी.पी.सी. का प्रस्तुत किया गया। जिसमे कथन किया है कि कानूनी प्रक्रिया अपनाकर प्रतिवादी को प्रार्थना–पत्र की बहस एवं दस्तावेज प्रस्तुत करने का अवसर दिया जावें। प्रकरण में वादी वकील द्वारा बहस कर कथन किया है कि प्रतिवादी द्वारा बिना तर्क के प्रार्थना–पत्र 151 सी.पी.सी. बार बार प्रस्तुत कर प्रकरण को लम्बित किया जा रहा है तथा 151 सी.पी.सी. में वर्णित प्रावधानो के विपरित जाकर मनमर्जी के तथ्य अंकित कर प्रस्तुत किये जा रहे है जो सारहीन एवं तथ्यहीन है। दोनो पक्षो के द्वारा के अभिवचनों पर मनन किया गया। प्रकरण में नियमानुसार सुनवाई की जा रही है तथा प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत इस प्रकार के प्रार्थना पत्रों से स्पष्ट साबित है कि प्रतिवादी द्वारा प्रकरण में बार बार सुनवाई के अवसर लिये जाने एवं इस प्रकार के प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत करने से साफ जाहिर है कि प्रतिवादी द्वारा प्रकरण को बेवजह लम्ब्ति किया जा रहा है। इस प्रकार प्रार्थना–पत्र दिनॉक 10.11.2023 सारहीन होने से खारिज किया जाता है।

प्रतिवादी वकील द्वारा दिनॉक 16.11.2023 को प्रार्थना–पत्र " वास्ते दावे की कानूनी प्रक्रिया से विचारण बाबत।" प्रस्तुत किया गया। प्रकरण का अवलोकन किया गया। जिसमे केवल मात्र दावे की कानूनन प्रक्रिया नही अपनाई जाने से प्रतिवादी को न्याय प्राप्त करने से वंचित होना पड़ रहा है तथ्य अंकित किये है। जबकि प्रतिवादी अधिवक्ता प्रतिवादी की नियमित पैरवी कर रहे है तथा प्रत्येक तारीख पेशी दिवस पर उपलब्ध हो रहे है तथा उनको समय समय पर अपना पक्ष प्रस्तुत करने के समुचित अवसर दिये गये है। प्रतिवादी द्वारा माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेंर के यहॉ प्रार्थना–पत्र भी प्रस्तुत किया गया है जिसमें तत्कालीन पीठासीन अधिकारी के विरूद्व मुन्तकिली प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 233 प्रस्तुत किया गया। जो मुन्तकिली प्रार्थना–पत्र संख्या 1067/1067/2023/नागौर बाजादेवी बनाम श्रीमान विद्वान उपखण्ड अधिकारी कुचामन दर्ज होकर सुनवाई की गई। जिसे माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेंर द्वारा दिनॉक 14.09.2023 को प्रार्थीया बाजादेवी का प्रार्थना–पत्र खारिज किया जा चुका है जिसकी प्रति पत्रावली में उपलब्ध है। इस प्रकार दिनॉक 16.11.2023 को प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र नियम विरूद्व एवं सारहीन होने से खारिज किया जाता है।

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 5 (44) अतिचारी को परिभाषित किया गया है कि– (10) " अतिचारी से वह [illegible] अभिप्रेत है जो बिना प्राधिकारी के भूमि पर कब्जा करता है या रखे रहता है, [illegible] किसी अन्य व्यक्ति को, उसे सम्यक् रूप से पट्टे पर दी गयी को अधिभ[illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Manoj
Date: 2023.12.28 16:32:51 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (डीडवाना-कुचामन)

8. वकील प्रतिवादी ने वाद के प्रत्युत्तर में आदेश 7 नियम 11 सी. पी. सी. का प्रार्थना–पत्र पेश किया कि :–

I. उक्त वाद मे मै प्रार्थी एक प्रतिवादी की हैसियत रखती हूँ।

II. वाद पत्र खसरा नम्बर 2263 रकबा 3.79 हैक्टर भूमि को वादग्रस्त भूमि बताकर वाद पत्र पेश किया गया है, वाद पत्र गलत तथ्यों के आधार पर पेश किया है, जिसका उद्देश्य केवल मात्र प्रार्थीया/प्रतिवादी को तंग परेशान करने के लिये पेश किया है जो काबिल खारिज है।

III. वाद पत्र में वर्णित कृषि भूमि का सम्पूर्ण वर्जन नही किया है, न्यायालय के समक्ष वादी उक्त तथ्य छुपाकर रखना चाहता है, जबकि वर्णित कृषि भूमि प्रार्थी के माता पिता को 50 वर्षो पूर्व राजा साहब कुचामनसिटी तत्कालीन जागीरदार से कृषि कार्य करने के लिये मिली थी, जिसके बाद प्रार्थीया के माता–पिता का कब्जा काश्त था तथा उनके बाद उक्त खसरा नम्बर 2263 जो कि प्रार्थीया की कृषि भूमि पर है जिस पर प्रार्थीया काबिज काश्त है, उक्त समस्त तथ्य वादी ने छुपाये है तथा वादी ने किस कागजी बेचान से उक्त कृषि भूमि का बेचाननामा तैयार करवाया है उसका भी वर्णन उक्त वाद में नही है।

IV. वादी उक्त कृषि भूमि पर कब्जा काश्त करके नही रहा है तथा वादी के उक्त खसरा के तथाकथित उक्त सह खातेदारो को भी पक्षकार नही बनाया गया है जिसके कारण उक्त वाद पत्र धारा 211 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के अनुसार काबिल खारिज है।

V. वादी ने भूमि कब खरीद की इसका वाद पत्र में उल्लेख नही है अर्थात वाद पत्र अपूर्ण है, यह केवल कागजी बेचान था, जिस पर वादी कभी कब्जे काश्त मे नही रहा है।

VI. वाद पत्र न्यायालय को गुमराह करने के लिये पेश किया गया है तथा इस वाद पत्र के जरिये अधूरे वाद पत्र के आधार पर वादी अपने गलत मंसूबो में कामयाब होना चाहता है जिस कारण उक्त वाद पत्र पूर्णतया काबिल खारिज है।

VII. सम्पूर्ण जानकारी वाद पत्र में नही देने के कारण प्रार्थीया अपना पक्ष रखने में असमर्थ है इस कारण प्रार्थीया के हितों पर काफी कुठाराघात होने की संभावना है, इस कारण वाद पत्र काबिल खारिज है।

VIII. वाद पत्र कितने न्याय शुल्क पर पेश किया गया है इसकी जानकारी भी वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र में उल्लेखित नही किया है ना ही इसकी जानकारी प्रार्थीया प्रतिवादी को दी है, जिसके कारण वाद पत्र काबिल खारजि है अन्य तथ्य वरवक्त बहस अर्ज किये जायेंगे, अतः प्रार्थीया का प्रार्थना–पत्र स्वीकार कर वादी द्वारा प्रस्तुत उक्त अपूर्ण वाद पत्र को मय हर्जे खर्चे के खारिज फरमया जावें।

9. वकील वादी ने प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. का प्रस्तुत कर कथन किया है कि :–

Signature Not Verified
Digitally signed by Manoj
Date: 2023.12.28 16:32:51 IST
Reason: SelfAttested

I. वादी द्वारा उक्त वाद धारा 183 राज[illegible] काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत प्रस्तुत किया है जो निर्धा[illegible] किया गया है।

II. प्रतिवादी ने अपने पूरे प्रार्थना–पत्र में [illegible] अंकित नही किया है कि प्रतिवादी का प्रार्थना–पत्र आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. किस प्रार्थना–पत्र किस प्रावधान के अन्तर्गत है।

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (डीडवाना-कुचामन)

III. आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. के अन्तर्गत प्रतिवादी का बचाव नही देखना है, केवल मात्र वादी के अभिवचनों को मुलायजा किया जाना है। वादी का वाद किसी भी विधि से वर्जित नही है। वादग्रस्त भूमि कृषि भूमि है, जिसके सम्बन्ध में सुनवाई का अधिकार माननीय न्यायालय को है।

IV. प्रतिवादी द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज प्रार्थना–पत्र के साथ पेश नही किया गया है, जिससे साबित होता हो कि प्रार्थी तत्कालीन राजा साहब कुचामनसिटी की जागीर में कृषि कार्य करती हो, प्रतिवादी द्वारा प्रार्थना–पत्र में जो खसरा नम्बर अंकित किया गया है, यह खसरा नम्बर द्वितीय भू–प्रबन्ध की कार्यवाही के बाद का है, राजा साहब के समय का यह खसरा भी नही है, वादी वादग्रस्त भूमि का खातेदार काश्तकार है एवं इसे धारा 183 के अन्तर्गत अतिक्रमी के विरूद्व वाद लाने का पूर्ण अधिकार है।

V. प्रतिवादी के हित किसी भी प्रकार से प्रभावित नही होते है, प्रतिवादी एक अतिक्रमी है, जो भू–माफिया गिरोह से मिली हुई है एवं अपने औरत होने का नाजायज फायदा उठा कर वादी को तंग एवं परेशान कर रही है।

अतः प्रार्थना–पत्र आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. का जवाब पेश कर निवेदन है कि प्रतिवादी का प्रार्थना–पत्र मय हर्जे खर्चे खारिज फरमया जावें।

10. वकील प्रतिवादी ने अपनी बहस में आदेश प्रार्थना–पत्र आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए वाद पत्र को खारिज किये जाने पर बल दिया ।

आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी.

वाद पत्र का नामंजूर किया जाना–वाद पत्र निम्नलिखित दशाओं में नामंजूर कर दिया जायेगा –

(क)– जहॉ वाद हेतुक प्रकट नही करता है।

(ख)– जहॉ दावाकृत अनुतोष का मूल्यांकन कम किया गया है और वादी मूल्यांकन को ठीक करने के लिये न्यायालय द्वारा अपेक्षित किये जाने पर उस समय के भीतर जो न्यायालय ने नियत किया है, ऐसा करने में असफल रहता है।

(ग)– जहॉ दावाकृत अनुतोष का मूल्यांकन ठीक है, किन्तु वाद–पत्र अपर्याप्त स्टाम्प पर लिखा गया है और वादी अपेक्षित स्टाम्प पत्र देने के लिए न्यायालय द्वारा अपेक्षित किये जाने पर उस समय के भीतर जो न्यायालय ने नियत किया है, ऐसा करने में असफल रहता है।

(घ)– जहॉ वाद पत्र के कथन से यह प्रतीत होता है कि वाद किसी विधि द्वारा वर्जित है।

(ङ)– जहॉ यह दो प्रतियों में दाखिल नही किया जाता है।

(च)– जहॉ वादी नियम 9 के उपबन्धों का अनुपालन करने में असफ़ल रहा है।

11. पटवारी हल्का की मौका रिपोर्ट 03.02.2023 में उल्लेख किया गया है कि (अधिकार अभिलेख) जमाबंदी में वादी ओमप्रकाश के अलावा अन्य सहखातेदार अभिलिखित नही है, मौके पर खसरा नम्बर 2263 की भूमि खाली [illegible] है [illegible] जिसमें खानाबदोश परिवार बाजादेवी वगैरह ने पांच छः जगह अस्थाई [illegible] रह रहे है।

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का [illegible] अवलोकन किया गया। बहस उभय पक्ष सुनी गई, वादी का वाद पत्र अन्तर्गत धारा [illegible]3 के अन्तर्गत प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. की विषय वस्तु एवं पक्षकार समान है, विषय

Signature Not Verified
Digitally signed by Manoj
Date: 2023.12.28 16:32:51 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (डीडवाना-कुचामन)

वस्तुत अन्र्तविलित होने से सर्वप्रथम प्रार्थना–पत्र 7 नियम 11 सी.पी.सी. को निर्णित किया जाना न्यायोचित है।

12. उक्त वाद पत्र के प्रत्युत्तर में वकील प्रतिवादी ने प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. के अवलोकन मात्र से ही प्रथम दृष्टया है कि प्रार्थना–पत्र शीर्षक में ही " प्रार्थना–पत्र आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी." उल्लेख किया है, परन्तु इसके अन्तर्गत विषय वस्तु में आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. के ऐसे किसी भी उपबन्ध का उल्लेख नही किया गया है, जिसके फलस्वरूप प्रार्थना–पत्र पोषणीय हो एवं इसके आधार पर वाद खारिज किया जा सके। प्रार्थना–पत्र आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. में बिन्दू संख्या 5 में इस तथ्य का अवश्य उल्लेख किया गया है कि " वादी ने उक्त खसरा के तथाकथित उक्त सह–खातेदारो को भी पक्षकार नही बनाया है, जिसके कारण उक्त वाद पत्र धारा 211 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के अनुसार काबिल खारिज है।

वकील प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. के प्रार्थना–पत्र पर उभय पक्ष की बहस सुनी गई, उक्त प्रार्थना–पत्र के शीर्षक में ही आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. उल्लेखित किया गया है, जबकि प्रार्थना–पत्र की विषय वस्तु में आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. का कोई भी उपबन्ध अन्तर्निहित नही होने से उक्त प्रार्थना–पत्र को जवाब वाद पत्र के रूप में स्वीकार किया जाकर वकील वादी द्वारा प्रस्तुत जवाबुल जवाब के पश्चात प्रकरण में अन्तिम बहस हेतु तिथि नियत की जाकर बहस उभय पक्ष सुनी गई। प्रकरण के सम्पूर्ण विवेचन एवं विधिक स्थिति एवं न्यायिक दृष्टातों के परिप्रेक्ष्य मे इस न्यायालय का स्पष्ट मतहै कि प्रतिवादी स्पष्ट रूप से अतिक्री है एवं अधिनियम के प्रावधानो अनुरूप बेदखली का दायी है।

इस तथ्य के संबंध में वकील वादी ने न्यायिक दृष्टांत 2004 आर.आर.डी. 35 सोनिया बनाम किशोरमल एवं मामचन्द बनाम सन्तरा 2044 (1) आर.आर.टी. 263 प्रस्तुत किये, जिसके अनुसार एक सह आसामी किसी अतिचारी (ट्रेसपासर) के विरूद्व वाद ला सकता है, जिसमें धारा 211 की कोई बाधा नही है।

इस सम्बन्ध में महत्वपूर्ण न्यायिक दृष्टांत जीवन बनाम ध्यानदास 1977 आर. आर. डी. 143 में मत व्यक्त किया गया है कि " "कोई व्यक्ति जो बिना प्राधिकार के आधिपत्य कब्जा प्राप्त करता है, वह आरंभतः अतिचारी है और जब कोई व्यक्ति भूमि पर कब्जे के अपने अधिकारी (Locvs standi) को स्पष्ट नही कर सकता है, तो वह निश्चयपूर्वक एक अतिचारी है और कुछ नही। इसी सम्बन्ध में न्यायिक दृष्टांत प्यारचंद बनाम सूरजमल 1965 आर. आर. डी. में मत व्यक्त किया गया है– " रंगीन बहाने से अतिचारी –धारा 183 केवल उन लोगो के विरूद्व ही लागू नही होती है जो स्वीकृत रूप से अतिचारी है यह उन लोगो पर भी लागू होती है जो अधिकार होने का रंगीन (झूंठा) बहाना बनाकर स्वत्व के प्रश्न का निर्णय चाहते है।"

<u>कृषि भूमि सम्बन्धी " अतिचरी की परिभाषा का इस प्रकार विश्लेषण किया जा सकता है–</u> "

(क) – कोई व्यक्ति जो वैध [illegible] रहता है।

(ख)– कोई व्यक्ति जो वैध प्राधिकार के [illegible] भूमि का कब्जा प्राप्त करता है।

(ग)– कोई व्यक्ति जो किसी [illegible] रूप से पट्टे पर दी गई भूमि को अधिभोग में लेने से रोकता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Manoj
Date: 2023.12.28 16:32:51 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (डीडवाना-कुचामन)

वादी अधिकार अभिलेख स्वरूप खातेदार काश्तकार अभिलिखित है, जबकि प्रतिवादी स्पष्ट रूप से राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 5 (44) में परिभाषित रूप से अतिक्रमी है जो बेदखली का दायी है।

धारा 183 का उद्देश्य– भूमि के अवैध कब्ज की समस्या इस युग की गंभीर समस्या है जो सभी प्रकार की भूमि को आक्रान्त करती है। कृषि भूमि के लिये भी एक भीषण समस्या है, जहॉ शक्तिशाली व्यक्ति कमजोर को दबाकर उसकी भूमि को हड़पना चाहता है। ऐसी स्थिति में धारा 183 को प्रभावशाली बनाने के लिये इसमें अनेक बार संशोधन किये गये है, अतिचारियों ककी बेदखली के लिये धारा 183 में तथा सरकारी भूमि पर से अतिचारियों को बेदखल करने के लिये भू–राजस्व अधिनियम की धारा 91 में व्यवस्था की गई है। अतः इस धारा को सर्वोपरि खण्ड का प्रयोग कर अध्यारोही प्रभाव दिया गया है।

प्रश्नगत प्रकरण में वादी एवं प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यादि/अभिलेख के सम्पूर्ण विवेचन एवं परीशीलन से प्रतिवादी स्पष्ट रूप से अतिक्रमी है एवं अधिनियम के प्रावधानों अनुसार बेदखली का दायी है।

आदेश

अतः आदेश है कि वाद वादी डिक्री किया जाकर प्रतिवादी को वादी की खातेदारी काश्तकारी भूमि में बेदखली के आदेश दिये जाते है एवं प्रतिवादी बाजादेवी पर वार्षिक लगान का पन्द्रह गुणा शास्ति आरोपित की जाती है। तहसीलदार कुचामनसिटी को आदेश दिये जाते है कि आदेश की पालना सुनिश्चित करे।

निर्णय आज दिनॉक 20/11/2023 को सरे इजलास सुनाया गया।

(मनोज RAS)
उपखण्ड अधिकारी
कुचामनसिटी
उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (डीडवाना-कुचामन)

Signature Not Verified

Digitally signed by Manoj
Date: 2023.12.28 16:32:51 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री मुकदमा इन्तेहाई

(ओ.20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत : उपखण्ड अधिकारी मुकाम : कुचामन सिटी जिला डीडवाना–कुचामन (राज.)

बइजलास : **मनोज (आर.ए.एस.)**

राजस्व वाद संख्या :– 16/2023 **GCMS 2023/31**

वादी

1. ओमप्रकाश पुत्र मोहनलाल माहेश्वरी कुचामनसिटी तहसील कुचामनसिटी जिला डीडवाना–कुचामन राजस्थान

बनाम

प्रतिवादीगण

1. बाजादेवी उर्फ बाजू देवी पत्नि बंशीलाल जाति बागरिया खानबदोश हाल निवासी मानधनिया फार्म हाउस के पास, पदमपुरा रोड़, कुचामनसिटी तहसील कुचामनसिटी
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार कुचामनसिटी (लैण्ड होल्डर)

दावा– बाबत अतिक्री की बेदखली अन्तर्गत धारा 183 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट 1955

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रू–बरू वकील श्री अशोकपुरी अधिवक्ता हाजिरी ..... मिनजानिब मुदई रू–बरू श्री रमेश चौधरी प्रतिवादी अधिवक्ता मिनजानिब मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि **अतः आदेश है कि वाद वादी डिक्री किया जाकर प्रतिवादी को वादी की खातेदारी काश्तकारी भूमि में बेदखली के आदेश दिये जाते है एवं प्रतिवादी बाजादेवी पर वार्षिक लगान का पन्द्रह गुणा शास्ति आरोपित की जाती है। तहसीलदार कुचामनसिटी को आदेश दिये जाते है कि आदेश की पालना सुनिश्चित करे।**

निज ..... मुबलिग ..... बाबत.....खर्चा इस मुकदमे के मय सूद शरह.... फीसदी सालाना आज की तारिख से तारीख अदायगी तक ..... का अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज दिनांक 20 माह 11 सन् 2023 को जारी की गई।

(मुहर)

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (डीडवाना-कुचामन)

मुदई	रूपयें	पैसे	मुदायलय	रूपयें	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालात नामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महन्ताना वकिल		
महन्ताना वकिल			खर्चा गवाहन		
खर्चा गवाहन			फिस कमिश्नर		
फिस कमिश्नर			बबत इजराय हुक्मनामा		
बबत इजराय हुक्मनामा			मुतफरिक		
मीजान			मीजान		

नोटः इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का चाहे डिग्री के जरिये दिखाया गया हो या नहीं, दर्ज करना चाहिए।

Signature Not Verified

Digitally signed by Manoj
Date: 2023.12.28 16:32:51 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कुचामनसिटी जिला (नागौर)

क्रमांक/राजस्व/2023/ 284 दिनॉकः- 20/11/2023

प्रेषित :- तहसीलदार
कुचामनसिटी

विषय :- राजस्व प्रकरण वाद सं. 16/2023 **GCMS 2023/31** ओमप्रकाश बनाम बाजादेवी वगैरह में पारित डिक्री आदेश की पालना बाबत।

-X-X-X-

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि इस न्यायालय के राजस्व प्रकरण वाद सं. 16/2023 **GCMS 2023/31** ओमप्रकाश बनाम बाजादेवी में पारित डिक्री आदेश की पालना बाबत प्रति भिजवाई जा रही है, मुताबिक डिक्री पालना कर रिपोर्ट इस न्यायालय में प्रस्तुत करे।

सलंग्नः-उपरोक्तानुसार।

उपखण्ड अधिकारी
कुचामनसिटी

Signature Not Verified

Digitally signed by Manoj
Date: 2023.12.28 16:32:51 IST
Reason: SelfAttested